

उत्तर प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

प्रकीर्ण

30 जून, 1992 ई०

सं० 3367/17-ए-239-1-91—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग सहायक जिला निर्वाचन

अधिकारी सेवा नियमावली, 1992

भाग एक—सामान्य

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा नियमावली, 1992 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2—सेवा की प्रास्थिति—उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा में समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं ।

3—परिभाषाएँ—जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में—

(क) "नियुक्त प्राधिकारी" का तात्पर्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश से है ;

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय ;

(ग) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है ;

(घ) "जिला निर्वाचन अधिकारी" का तात्पर्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13-कक के अधीन प्रत्येक जिले के लिये इस प्रकार पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट अधिकारी से है ;

(ङ) "जिला निर्वाचन कार्यालय" का तात्पर्य जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से है ;

(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार से है ;

(छ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;

(ज) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ;

(झ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो ;

(ञ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा से है ;

(ट) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारहमास की अवधि से है ।

भाग दो—संवर्ग

4—सेवा का संवर्ग—(1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय ।

(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जाय, सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है ;
परन्तु—

(1) नियुक्त प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरने हूये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा ;

(2) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझे ।

भाग तीन—भर्ती

5—भर्ती का स्रोत—सेवा में किसी पद पर भर्ती, जिला निर्वाचन कार्यालयों में मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ लिपिकों और खजान्ची एवं मण्डार लिपिकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा की जायगी ।

6—आरक्षण—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायगा ।

भाग चार--मर्तियों की प्रक्रिया

7--रिक्तियों का अवधारण--नियुक्त प्राधिकारी वर्ष के दौरान मरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

8--पदोन्नति द्वारा मर्तियों की प्रक्रिया--(1) सेवा में पद पर मर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर, एक चयन समिति के माध्यम से की जायगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :

- (एक) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश . . . अध्यक्ष
(दो) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा . . . सदस्य
" नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले दो अधिकारी जो समूह "ख" श्रेणी के अधिकारियों से निम्न न हों।

(2) नियुक्त प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उनकी चरित्र-पंक्तियों और उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा :

परन्तु इस उपनियम के अधीन पात्रता सूचियां तैयार करते समय, जहां दो भिन्न-भिन्न घोषक संवर्ग हों--

(क) जिनके वर्तमान भिन्न-भिन्न हों वहां उच्चतर वर्तमान वाले संवर्ग के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा;

(ख) जिनके वर्तमान समान हों वहां पात्रता सूची में अभ्यर्थियों के नाम उनके अपने-अपने संवर्गों में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में रखे जायेंगे।

टिप्पणी--पदोन्नति के प्रयोजन के लिये समस्त जिला निर्वाचन कार्यालयों के ज्येष्ठ लिपिकों और खजान्ची एवं भण्डार लिपिकों के पदों के लिये मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य स्तर पर पृथक संयुक्त ज्येष्ठता सूचियां बनायी जायेंगी।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की सूचियां उस ज्येष्ठता क्रम में जैसी कि वह उस संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाना है, तैयार करेगी और उसे नियुक्त प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग पांच--नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

9--नियुक्ति--(1) नियुक्त प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 8 के अधीन तैयार की गई सूचियों में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता-क्रम में किया जायगा जैसी कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय।

10--परिवीक्षा--(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्त प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा विनांक निर्दिष्ट किया जायगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय :

परन्तु आपदादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या यथास्थिति बढ़ाई गई परि-वीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में, नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय वह किसी प्रतिफल का हकदार न होगा।

(5) नियुक्त प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

11--स्थायीकरण--नियुक्त प्राधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए जारी आदेश कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने परि-वीक्षा सफलता पूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

12--ज्येष्ठता--सेवा में पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग छ--वैतन इत्यादि

13--वैतनमान--(1) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों का अनुमान्य वैतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वैतनमान 1640-60-2600-80 रॉ 10-75-2900 रुपये है।

14—परिवीक्षा अवधि में वेतन—(1) फण्डामेंटल रूल में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षा-धीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में नहीं, समथमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायगी जब उसके एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसके परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान करने में विफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे ।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेंटल रूल द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान करने में विफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे ।

(3) ऐसे व्यक्ति को, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य-कलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

15—दक्षता रोक पार कराने का मानदण्ड—किसी भी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

भाग सात—अन्य उपबन्ध

16—पक्ष समर्थन—सेवा या पद के संबंध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा । किसी अभ्यर्थी को ओर से अपना अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा ।

17—अन्य विषयों का विनियमन—उन विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे ।

18—सेवा की शर्तों में शिथिलता—जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू होने वाले नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अमि-मुक्त या शिथिल कर सकती है ।

19—व्यावृत्ति—इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनको इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

परिशिष्ट

[नियम 4-(2) देखिये]

क्र. सं०	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1	2	3	4	5
1	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	26	37	63

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3367/XVII-A-239-1-91, dated June 30, 1992:

No. 3367/XVII-A-239-1-91

June 30, 1992

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Election Department, Assistant District Election Officer Service.

THE UTTAR PRADESH ELECTIONS DEPARTMENT ASSISTANT DISTRICT ELECTION OFFICER SERVICE RULES, 1992.

PART I—General

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Elections Department Assistant District Election Officer Service Rules, 1992.

(2) They shall come into force at once.

2. Status of the service.— The Uttar Pradesh Assistant District Election Officer Service comprises Group 'C' posts.

3. Definitions.— In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context—

(a) "appointing authority" means the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh;

(b) "citizen of India" means a person who is or is deemed to be a Citizen of India under Part II of the Constitution ;

(c) "Constitution" means the Constitution of India ;

(d) "District Election Officer" means an officer so designated or nominated for each district under section 13-AA of the Representation of the People Act, 1950 ;

(e) "District Election Office" means the office of the District Election Officer ;

(f) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh ;

(g) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh ;

(h) "member of the service" means a person appointed in a substantive capacity under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post in the cadre of the Service ;

(i) "substantive appointment" means an appointment not being an *ad hoc* appointment, on a post in the cadre of Service, and after selection in accordance with the rules and if there are no rules, in accordance, with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government ;

(j) "service" means the Uttar Pradesh Elections Department Assistant District Election Officer Service ;

(k) "year of recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART II—*Cadre*

4. Cadre of service.— (1) The strength of the service shall be such as may be determined by the Government from time to time ;

(2) The strength of the service until orders varying the same are passed under sub-rule (1) is given in Appendix.

Provided that—

(1) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation ;

(2) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART III—*Recruitment*

5. Source of recruitment.—Recruitment to the post in the service shall be made by promotion from amongst substantively appointed Senior Clerks and Cashier-cum-Store-Clerks of the District Election Offices who have completed eight years service as such on the first day of the year of recruitment.

6. Reservation.—Reservations for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART IV—*Procedure for recruitment*

7. Determination of vacancies.—The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6.

8. Procedure for recruitment by promotion.—

(1) Recruitment to the post in the service shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through a Selection Committee comprising :

(i) Joint Chief Electoral .. *Chairman.*
Officer, Uttar Pradesh.

(ii) Two Officers not .. *Members.*
below the rank of Group "B"
Officers to be nominated by
the Chief Electoral Officer,
Uttar Pradesh.

(2) The appointing authority shall prepare eligibility lists of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such other record pertaining to them, as may be considered proper :

Provided that while preparing eligibility lists under this sub-rule where there are two different feeding cadres—

(a) bearing different pay scales, the candidates belonging to the cadre bearing higher pay scale shall be placed higher in the eligibility list.

(b) bearing the same pay scale the names of the candidates shall be arranged in the eligibility list in order of the date of their substantive appointment in their respective cadres.

Norm:—For the purposes of promotion combined seniority lists shall be prepared separately for the posts of Senior Clrks and Cashier Cum-Store Clerks of all the District Election Offices, at the State level by the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of the candidates on the basis of records, referred to in sub-rule (2) and if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare lists of selected candidates arranged in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

PART V—Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

9. Appointment.—(1) The appointing authority shall make appointments by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rule 8.

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as it stood in the cadre from which they are promoted.

10. Probation.—(1) A person substantively appointed to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases, specifying the date upto which the extension is granted:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation, as the case may be, that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post.

(4) A probationer who is reverted under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service rendered in a post included

in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

11 Confirmation.—The order issued by the appointing authority under sub-rule (3) of rule 5 of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991, declaring that the probationer has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.

12. Seniority.— The seniority of persons substantively appointed to posts in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

PART VI—Pay, etc.

13. Scale of pay.— (1) The scale of pay admissible to persons appointed in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scale of pay at the time of commencement of these rules is Rs. 1,640—60—2,600 EB—75—2,900.

14. Pay during probation.— (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who is already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

15. Criteria for crossing efficiency bar.— No Assistant District Election Officer shall be

allowed to cross the efficiency bar unless his work and conduct are found to be satisfactory and unless his integrity is certified.

PART VII—Other Provisions

16. Canvassing.— No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

17. Regulation of other matters.—In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

18. Relaxation in the conditions of service.— Where the State Government is satisfied that the operating of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements

of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

19. Savings.— Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Schedule Castes, Schedule Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

APPENDIX

[See rule 4 (2)].

Sl. no.	Name of post	Number of posts		Total
		Perma- nent	Tempo- rary	
1	Assistant District Election Officer.	26	37	63

आज्ञा से,
मोहिन्दर सिंह,
प्रमुख सचिव, ।

द्विपक्षीय राजपत्र, दिनांक 3-10-92, भाग 1-क में प्रकाशित ।

[प्रतिलिपि सूचनाय प्रेषित—]

पी० ए० यू० पी०—24 (निर्वाचन)—5-11-92—300 (मोनो)।

उत्तर प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

प्रकीर्ण

10 मई, 1993 ई०

सं० 4003, 17-ए-239-1-91-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा नियमावली, 1992 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1993

1-संशोधन नाम और आरम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1992 कही जायगी।

(2) यह सुसंगत बनाने होगी।

2-नियम 8 का संशोधन--उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा नियमावली, 1992 में नियम 8 के अन्तर्गत जो नियम 8 के उपनियम (2) के अन्तर्गत परस्पर दो में दिया गया उपनियम रख दिया जायगा, अर्थात्

उपनियम--ए

उपनियम

उपनियम--दो

उपनियम

(2) नियुक्ति प्रावधानों के अन्वयियों की पात्रता सूचियाँ उत्तर प्रदेश (जोकि सेवा का प्रयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) अन्वयित प्रावधानों की नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करायें और उनका वर्तमान सूचियाँ और उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अनिश्चितों के साथ, जो उचित समझ जाय, चयन समिति के समक्ष रखा जाय।

परन्तु इस उपनियम के अन्तर्गत प्रावधान सूचियाँ तैयार करते समय, जहाँ दो मिन-मिन पोषक संवर्ग हों--

(क) जिनके वर्तमान मिन-मिन हों वहाँ उच्चतर वर्तमान वाले संवर्ग के अन्वयियों को प्रावधान सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायगा।

(ख) जिनके वर्तमान समान हों वहाँ पात्रता सूची में अन्वयियों के नाम उनके अपने-अपने संवर्गों में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में रखे जायेंगे।

(ग) यदि पोषक संवर्ग में उच्चतर वर्तमान और उनके मौलिक नियुक्ति के दिनांक परवर्ती हों तो अन्वयियों के नाम उनके मौलिक संवर्गों में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में रखे जायेंगे और उच्चतर संवर्गों में उच्चतर आयु में उच्चतर अन्वयियों के नाम प्रावधान सूची में रखे जायेंगे।

उपनियम 2-उपनियम के अन्वयितों के लिए समस्त जिला निर्वाचन कार्यालयों के वरिष्ठ स्टाफ के अतिरिक्त कम-स्टेयर क्लर्कों के पदों के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य स्तर पर मुख्य संयुक्त ज्येष्ठता सूचियाँ तैयार करायेंगी।

(2) नियुक्ति प्रावधानों के अन्वयियों की पात्रता सूचियाँ उत्तर प्रदेश (जोकि सेवा का प्रयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) अन्वयित प्रावधानों की नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करायें और उनका वर्तमान सूचियाँ और उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अनिश्चितों के साथ, जो उचित समझ जाय, चयन समिति के समक्ष रखा जाय।

परन्तु इस उपनियम के अन्तर्गत प्रावधान सूचियाँ तैयार करते समय, जहाँ दो मिन-मिन पोषक संवर्ग हों--

(क) जिनके वर्तमान मिन-मिन हों वहाँ उच्चतर वर्तमान वाले संवर्गों के अन्वयियों को प्रावधान सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायगा।

(ख) जिनके वर्तमान समान हों वहाँ पात्रता सूची में अन्वयियों के नाम उनके अपने-अपने संवर्गों में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में रखे जायेंगे।

(ग) यदि पोषक संवर्ग में उच्चतर वर्तमान और उनके मौलिक नियुक्ति के दिनांक परवर्ती हों तो अन्वयियों के नाम उनके मौलिक संवर्गों में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में रखे जायेंगे और उच्चतर संवर्गों में उच्चतर आयु में उच्चतर अन्वयियों के नाम प्रावधान सूची में रखे जायेंगे।

उपनियम 2-उपनियम के अन्वयितों के लिए समस्त जिला निर्वाचन कार्यालयों के वरिष्ठ स्टाफ के अतिरिक्त कम-स्टेयर क्लर्कों के पदों के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य स्तर पर मुख्य संयुक्त ज्येष्ठता सूचियाँ तैयार करायेंगी।

In pursuance of the provisions of clause (8) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4008/17-A-1-289-1-91, dated May 10, 1993:

No. 4008/17-A-1-289-1-91
May 10, 1993

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Elections Department Assistant District Election Officer Service Rules, 1993.

THE UTTAR PRADESH ELECTIONS DEPARTMENT ASSISTANT DISTRICT ELECTION OFFICER SERVICE (FIRST AMENDMENT) RULES, 1993

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Elections Department Assistant District Election Officer Service (First Amendment) Rules, 1993.
(2) They shall come into force at once.

2. **Amendment of rule 8.**—In the Uttar Pradesh Elections Department Assistant District Election Officer Service Rules, 1992, for sub-rule (2) of rule 8, set out in Column I below, the sub-rule as set out in Column II shall be substituted, namely:

COLUMN I

Existing sub-rule

The appointing authority shall prepare eligibility lists of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, place the same before the Selection Committee along with their Character Rolls and such other record pertaining to them, as may be required.

~~Provided that while preparing eligibility lists under this sub-rule where there are two different feeding cadres—~~

(a) bearing different pay scales, the candidates belonging to the cadre bearing higher pay scale shall be placed higher in the eligibility list;

(b) bearing the same pay scale the names of the candidates shall be arranged in the eligibility list in order of the date of their substantive appointment in their respective cadres.

~~None for the purposes of promotion combined seniority list shall be prepared separately for the posts of senior clerks and cashier-cum-store clerks of all the District Election Offices at the State level by the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh.~~

COLUMN II

Sub-rule as hereby substituted

The appointing authority shall prepare eligibility lists of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) and Eligibility List Rules, 1986 and place the same before the Selection Committee along with their Character Rolls and such other record pertaining to them as may be required.

~~Provided that while preparing eligibility lists under this sub-rule where there are two different feeding cadres—~~

(a) bearing different pay scales the candidates belonging to the cadre bearing higher pay scale shall be placed higher in the eligibility list;

(b) bearing the same pay scale the names of the candidates shall be arranged in the eligibility list in order of the date of their substantive appointment in their respective cadres;

(c) if the pay scale and the date of their substantive appointment in feeding cadre are the same, the names of the candidates shall be arranged in the eligibility list in order of the date of their substantive appointment in the next lower cadre and where there are no such cadre, the candidates who are senior in age shall be placed higher in the eligibility list.

NOTE—For the purposes of promotion a combined seniority list shall be prepared for the post of senior clerks and cashier-cum-store clerks of all the District Election Offices at the State level by the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh.

— 2 —

उत्तर प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

30 अप्रैल, 1994 ई०

सं० 4287/17-ए-1--239-91—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा नियमावली, 1992 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा (द्वितीय संशोधन) : नियमावली, 1994

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1994 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2—नियम 2 का प्रतिस्थापन—उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा नियमावली, 1992, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, के नीचे स्तम्भ एक में दिये गये नियम 2 के स्थान पर, स्तम्भ दो में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात्—

स्तम्भ—एक

वर्तमान नियम

2—सेवा की प्रास्थिति—उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा में समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

3—नियम 5 का प्रतिस्थापन—उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ एक में दिए गए नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ दो में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात् :—

स्तम्भ—एक

वर्तमान नियम

5—भर्ती का स्रोत—सेवा में किसी पद पर भर्ती जिला निर्वाचन कार्यालयों में मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ लिपिकों एवं कैशियर-कम-स्टोर क्लर्क में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

स्तम्भ—दो

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

2—सेवा की प्रास्थिति—उत्तर प्रदेश सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा में समूह "ख" के पद समाविष्ट हैं।

स्तम्भ—दो

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

5—भर्ती का स्रोत—सेवा में किसी पद पर भर्ती जिला निर्वाचन कार्यालयों में मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ लिपिकों और कैशियर-कम-स्टोर क्लर्क में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

4—नियम 8 का संशोधन—उक्त नियमावली के नियम 8 में नीचे स्तम्भ एक में दिये गये उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ दो में दिया गया उपनियम रख दिया जायगा, अर्थात्—

स्तम्भ—एक

वर्तमान उपनियम

8—पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया—(1) सेवा में पद पर भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायगी जिनमें निम्नलिखित होंगे :

स्तम्भ—दो

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

8—पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया—(1) सेवा में पद पर भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायगी जिनमें निम्नलिखित होंगे :

स्तम्भ—एक
वर्तमान उपनियम

(एन) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, .. अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश

(दो) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर .. सदस्य
प्रदेश द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने
वाले दो अधिकारी जो समूह "ख"
श्रेणी के अधिकारियों से निम्न न हों।

स्तम्भ—दो
एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(एक) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी .. अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश

(दो) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर .. सदस्य
प्रदेश द्वारा नामनिर्दिष्ट किये
जाने वाले दो अधिकारी जो समूह
"क" के अधिकारियों से निम्न
स्तर के न हों।

भासा से;
शैवाल कुमार मुखर्जी;
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4287/17-A-I—239-91, dated April 30, 1994 :

No. 4287/17-A-I—239-91
April 30, 1994

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Elections Department, Assistant District Election Officer Service Rules, 1992 :

THE UTTAR PRADESH ELECTIONS DEPARTMENT, ASSISTANT DISTRICT ELECTION OFFICER SERVICE (SECOND AMENDMENT) RULES, 1994

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Elections Department, Assistant District Election Officer Service (Second Amendment) Rules, 1994.

(2) They shall come into force at once.

2. **Substitution of rule 2.**—For rule 2 of the Uttar Pradesh Elections Department, Assistant District Election Officer Service Rules, 1992 hereinafter called the said Rules, for rule 2 set out in Column I below, the rules as set out in Column II shall be substituted, namely :

COLUMN I (Existing rules)	COLUMN II (Rules as hereby substituted)
<p>Status of the Service—</p> <p>2. The Uttar Pradesh Assistant District Election Officer Service comprises Group "C" posts.</p>	<p>Status of the Service—</p> <p>2. The Uttar Pradesh Assistant District Election Officer Service comprises Group "B" posts.</p>

3. **Substitution of rule 5.**—For rule 5 of the said Rules set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

COLUMN I (Existing rule)	COLUMN II (Rule as hereby substituted)
<p>5. Source of recruitment.—Recruitment to the post in the service shall be made by promotion from amongst substantively appointed senior clerks and cashier-cum-stere clerks of the District Election Offices who have completed eight years service as such on the first day of the year of recruitment.</p>	<p>5. Source of recruitment.—Recruitment to the post in the Service shall be made by promotion from amongst substantively appointed senior clerks and cashier-cum-stere clerks of the District Election Offices who have completed ten years service, as such on the first day of the year of recruitment.</p>

4. Amendment of rule 8.—In rule 8 of the said Rules, for sub-rule (I) set out in Column I below, the sub-rule as set out in Column II shall be substituted, namely:

COLUMN I

(Existing sub-rule)

1. Procedure for recruitment by promotion.— Recruitment to the post in the service shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through a Selection Committee comprising:

(i) Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh .. *Chairman.*

(ii) Two Officers not below the rank of Group "B" Officers to be nominated by the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh. .. *Members.*

COLUMN II

(Sub-rule as hereby substituted)

1. Procedure for recruitment by promotion.— Recruitment to the post in the service shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through a Selection Committee comprising:

(i) Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh .. *Chairman.*

(ii) Two Officers not below the rank of Group "A" Officers to be nominated by the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh. .. *Members.*

By order,
S. K. MUKHERJEE,
Principal Secretary.

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 2-7-94, भाग 1-क में प्रकाशित ।

प्रतिक्रिया सूचनाएं प्रेषित—]

पी 0 एस 0 ए 0 पी 0—4 सी 0 (निर्वाचन)—19-8-94—300 (भोलो) ।